

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17069/2024

कंचन कुमावत पुत्री श्री कृष्ण गोपाल कुमावत, आयु लगभग 18 वर्ष, निवासी पलसाना, जिला सीकर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

- भारत संघ, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, सरकारी सचिवालय, नई दिल्ली, अपने सचिव के माध्यम से।
- वरिष्ठ निदेशक (परीक्षाएं), राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, प्रथम तल, एनएसआईसी-एमडीबीपी बिल्डिंग, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली, दिल्ली 110020
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय, मुख्य भवन, जयपुर (राज.)
- अध्यक्ष, नीट यूजी मेडिकल और डेंटल प्रवेश/काउंसलिंग बोर्ड, 2024, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
- नीतू स्वामी पुत्री श्री छोटूराम, राज्य पंजीकरण आईडी RM106409, नीट रोल नंबर 923210405, कॉलेज आवंटन जीएमसी धौलपुर, नीट यूजी मेडिकल और डेंटल प्रवेश/काउंसलिंग बोर्ड, 2024, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
- जतिन पुत्र श्री जितेंद्र सिंह, राज्य पंजीकरण आईडी RM5630, नीट रोल नंबर 923220472, कॉलेज आवंटन जीएमसी बांसवाड़ा, नीट यूजी मेडिकल और डेंटल प्रवेश/काउंसलिंग बोर्ड, 2024, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

से संबंधित

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17208/2024

रोहित चौधरी पुत्र श्री खेमा राम, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी घोसलिया की ढाणी, ग्राम नांगल गोविंद, तहसील- चोमू, जिला-जयपुर-303602 (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान नीट यूजी मेडिकल और डेंटल प्रवेश/काउंसलिंग बोर्ड-2024, अपने अध्यक्ष के माध्यम से जिसका कार्यालय एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जेएलएन मार्ग, जयपुर-302004 में है।
3. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110077
4. आकाश साहू तेली पुत्र बाबू लाल तेली, (सरकारी सीट पर सरकारी मेडिकल कॉलेज, बांसवाड़ा आवंटित) अध्यक्ष, राजस्थान नीट यूजी मेडिकल और डेंटल प्रवेश/काउंसलिंग बोर्ड-2024 के माध्यम से जिसका कार्यालय एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जेएलएन मार्ग, जयपुर-302004 में है।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17037/2024

राहुल गुप्ता पुत्र श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी लक्ष्मीनगर ऑफिसर्स कॉलोनी, बाड़मेर-344001 (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान नीट यूजी मेडिकल और डेंटल प्रवेश/काउंसलिंग बोर्ड-2024, अपने अध्यक्ष के माध्यम से जिसका कार्यालय एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जेएलएन मार्ग, जयपुर-302004 में है।
3. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110077।
4. माधव शर्मा पुत्र हेमंत कुमार शर्मा, (प्रबंधन सीट पर सरकारी मेडिकल कॉलेज, दौसा आवंटित) अध्यक्ष, राजस्थान नीट यूजी मेडिकल और डेंटल प्रवेश/काउंसलिंग बोर्ड-2024 के माध्यम से जिसका कार्यालय एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जेएलएन मार्ग, जयपुर-302004 में है।

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17029/2024

यशप्रीत ध्रुव पुत्र श्री कैलाश चंद सेजवाल, आयु लगभग 18 वर्ष, निवासी ग्राम और पोस्ट जन्थर, तहसील जन्थर, जिला डीग (राजस्थान)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद, द्वारका सेक्टर-8, दिल्ली।
- 2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, पिंग स्क्वायर मॉल, एसएमएस अस्पताल के सामने, जयपुर।
- 3. अध्यक्ष, नीट यूजी मेडिकल और डेंटल प्रवेश/काउंसलिंग बोर्ड-2024, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
- 4. दक्षा पुत्री प्रकाश कुमार, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, पिंग स्क्वायर मॉल, एसएमएस अस्पताल के सामने, जयपुर के माध्यम से।

-----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री विवेक जोशी श्री तनवीर अहमद श्री विकास घोसाल्या के साथ श्री पृथ्वी पाल श्री जीतेंद्र कुमार शर्मा
प्रतिवादी(यों) के लिए	:	श्री विज्ञान शाह, एएजी के साथ श्री यश जोशी श्री देवेश यादव, सीजीसी एनटीए के लिए श्री एम.एस. राघव के साथ श्री विश्वास सैनी प्रतिवादी संख्या 5 के लिए श्री संजय खादर एनएमसी के लिए श्री अंगद मिर्धा श्री अभिनव श्रीवास्तव के लिए प्रतिवादी संख्या 6 के लिए श्री रघुनंदन शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति श्री समीर जैन**निर्णय****रिपोर्ट करने योग्य****आरक्षित दिनांक : 12/11/2024****घोषित दिनांक : 14/11/2024**

1. तथ्यों और कानून के समान मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया और कंचन कुमावत बनाम भारत संघ और अन्य शीर्षक वाली एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17069/2024 को मुख्य वाद के रूप में लिया गया। शीघ्रता और सुविधा के लिए, वर्तमान याचिकाओं का निर्णय इस निर्णय के माध्यम से किया जाता है और यह याचिकाओं पर आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होगा।

2. वर्तमान मामले पर विचार करने के लिए प्रासंगिक तथ्य यह है कि प्रतिवादी-एनटीए ने नीट-यूजी, परीक्षा, 2024 के लिए अखिल भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 09.02.2024 (परिशिष्ट-1) को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी। याचिकाकर्ताओं ने उच्च अभिलाषाओं के साथ और आवश्यक पात्रता प्राप्त/धारण करने पर उक्त परीक्षा में भाग लिया। तत्पश्चात, सामान्य काउंसलिंग आयोजित करने के बाद, दिनांक 23.10.2024 की अधिसूचना के माध्यम से, प्रतिवादियों ने एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए स्ट्रे वेकेंसी राउंड आवंटन प्रक्रिया (परिशिष्ट-7) के लिए जानकारी (पूर्ववर्ती अधिसूचना के क्रम में) जारी की। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया गया था जो 28.10.2024 को सुबह 09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित होने वाली थी।

3. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 5 और 6 से योग्यता में उच्च हैं। यह भी तर्क दिया गया कि स्ट्रे वेकेंसी राउंड में दस्तावेज सत्यापन के समय, याचिकाकर्ता प्रतिवादियों के अधिकारियों/अधीनस्थ कर्मचारियों के समक्ष उपस्थित हुए और दस्तावेज (कक्षा X और XII की अंक-पत्र, अधिवास प्रमाण

पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आदि) प्रस्तुत किए। फिर भी, उक्त दस्तावेज सत्यापन सत्र के दौरान प्रतिवादियों के एक अधीनस्थ कर्मचारी ने याचिकाकर्ता-उम्मीदवारों से एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत XI कक्षा की अंक-पत्रों में 'जीव विज्ञान' विषय का उल्लेख नहीं था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने उक्त प्राधिकारी को विधिवत सूचित किया था कि उन्हें कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान कक्षा XI से कक्षा XII में क्रमोन्नत किया गया था, इसके अलावा, केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अनुसार यह उस शैक्षणिक वर्ष के लिए नामांकित सभी छात्रों पर लागू किया गया था।

4. विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.10.2024 (परिशिष्ट-10) का एक हलफनामा एमबीबीएस/बीडीएस आवंटन के लिए बंधपत्र (परिशिष्ट-11) के साथ, प्रतिवादियों द्वारा निर्देशित अनुसार प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, प्रतिवादियों द्वारा जारी अनंतिम संयुक्त योग्यता सूची (संशोधित) में, याचिकाकर्ता (मुख्य वाद में) का नाम (राज्य योग्यता) क्रमांक 3647 [ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी] (परिशिष्ट-12) पर परिलक्षित हुआ था। तत्पश्चात, कॉलेज आवंटन के लिए अनंतिम संयुक्त आवंटन सूची प्रतिवादियों द्वारा 30.10.2024 को जारी की गई थी, हालांकि, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी उस सूची से रद्द कर दी गई थी, हालांकि उसका नाम पहली सूची में परिलक्षित हुआ था और उसने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।

5. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों की उपरोक्त कार्रवाई के संबंध में अपनी शिकायत 30.10.2024 और 31.10.2024 (क्रमशः परिशिष्ट-15 और 16) को मेल के माध्यम से प्रस्तुत की, हालांकि, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह भी अवगत कराया गया कि घटनाओं का कालानुक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उक्त सभी चयन प्रक्रिया दीपावली के त्योहारी समय के दौरान शुरू और समाप्त हुई थी, इसलिए किसी भी प्राधिकारी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना असंभव था, क्योंकि सार्वजनिक और कार्यालय अवकाश चल रहे थे।

6. यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि याचिकाकर्ता(ओं) मेधावी उम्मीदवार थे/थीं, फिर भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई और प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को वरीयता दी गई, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के प्रावधानों के तहत निहित याचिकाकर्ता(ओं) के मौलिक अधिकारों का अंतर्निहित रूप से उल्लंघन का कार्य है। इस संबंध में किए गए निवेदनों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यशप्रीत ध्रुव बनाम अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद और अन्य शीर्षक वाली एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17029/2024 में पारित अंतरिम आदेश पर भरोसा किया है। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया था कि प्रतिवादी-काउंसलिंग बोर्ड ने उक्त स्ट्रे वेकेंसी राउंड के दौरान याचिकाकर्ताओं को अपेक्षित/निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई अवसर नहीं दिया, इसके विपरीत, पूरे भारत में काउंसलिंग के पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उचित समय प्रदान किया गया था।

7. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने आशा बनाम पं. बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और अन्य शीर्षक वाले सिविल अपील संख्या 5055/2012 [एसएलपी (सिविल) संख्या 7440/2012 से उत्पन्न] में निहित सिद्धांत पर गहनता से भरोसा किया है और निवेदन किया है कि याचिकाकर्ताओं ने उक्त परीक्षा के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की और उसमें उपस्थित हुए और मेधावी भी रहे। इसके अलावा, उम्मीदवार द्वारा प्राप्त योग्यता सीटों के आवंटन के लिए एकमात्र मानदंड होनी चाहिए।

8. अब तक की गई दलीलों के विपरीत, प्रतिवादी-राज्य, एनएमसी और एनटीए की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान दिनांक 23.10.2024 की अधिसूचना के साथ जारी सूचना बुलेटिन और न्यूनतम आवश्यकताएं वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियमन, 2020 (एनएमसी द्वारा आवेदन पत्र के साथ जारी) (परिशिष्ट-6) पर आकर्षित किया है और निवेदन किया है कि उक्त दस्तावेज स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि कक्षा XI की अंक-पत्र, संबंधित विषयों के साथ, उक्त दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ताकि उक्त स्ट्रे वेकेंसी राउंड में सीट प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकें।

9. इसके अलावा, नीट-यूजी परीक्षा, 2024 के संबंध में कथित और शामिल दीर्घकालिक विवादों और अन्यथा भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिना शर्त राय व्यक्त की है कि ऐसी परीक्षाओं में समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए, अनुसूची का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि समय अनुसूची और सूचियों में कोई संशोधन न किया जाए। यह भी तर्क दिया गया कि उक्त सूची में किसी भी परिवर्तन/फेरबदल/संशोधन का अखिल भारतीय प्रभाव होगा।

10. यह भी तर्क दिया गया कि पूर्ववर्ती पहले, दूसरे और तीसरे काउंसिलिंग राउंड के विपरीत, वर्तमान स्ट्रे वेकेंसी राउंड सीटों के आवंटन के लिए याचिकाकर्ताओं के लिए कोई निहित या पूर्ण अधिकार स्थापित नहीं करता है। इस मोड़ पर, विद्वान अधिवक्ता ने अध्यक्ष, काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त हलफनामे पर भरोसा किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुल 920 उम्मीदवार अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हुए थे, और उपस्थित कुल उम्मीदवारों में से केवल 878 पात्र पाए गए थे और लगभग 19 उम्मीदवारों ने अपना क्रमोन्नति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था जिसमें 'जीव विज्ञान' को उनके XI कक्षा में पढ़े गए विषयों में से एक के रूप में दर्शाया गया था।

11. इस संबंध में किए गए निवेदनों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** में प्रतिपादित सिद्धांत पर भरोसा किया है, जो एसएलपी (सी) संख्या 11785/2024 के रूप में पंजीकृत है, **प्रेमसुख बनाम भारत संघ और अन्य** शीर्षक वाली एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18396/2024 और एस. कृष्णा श्रद्धा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य शीर्षक वाली (2020) 17 एससीसी 465।

12. सुना और विचार किया गया।

13. निर्णय की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, उपस्थित तथ्यात्मक मैट्रिक्स और कालानुक्रमिक घटनाओं का वर्णन करना उचित होगा। उन्हें निम्नानुसार नोट किया गया है:

13.1 इस न्यायालय के समक्ष विवाद यह है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा 31.10.2024 को प्रस्तुत प्रमाण पत्र (प्रिंसिपल, बीवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीकर द्वारा हस्ताक्षरित) को वैध माना जा सकता है और याचिकाकर्ताओं को पात्र बना सकता है, खासकर जब प्रतिवादियों ने उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अत्यल्प अवधि प्रदान की हो, इसके अलावा, जब याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 5 और 6 से योग्यता में उच्च हो।

13.2 घटनाओं का कालानुक्रम नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

सार्वजनिक सूचना दिनांक 09.02.2024	प्रतिवादियों द्वारा नीट यूजी, परीक्षा 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित करने का विज्ञापन। कट-ऑफ तिथि - 09.03.2024
अधिसूचना दिनांक 14.08.2024	नीट यूजी परीक्षा, 2024 के लिए काउंसलिंग
अधिसूचना दिनांक 23.10.2024	एमबीबीएस, बीडीएस के लिए स्ट्रे वेकेंसी राउंड काउंसलिंग -
26.10.2024 (11.55 P.M.)	आवेदकों के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि।
25.10.2024	राउंड 3 के बाद अनंतिम रिक्त सीट मैट्रिक्स
27.10.2024	अनंतिम योग्यता सूची का प्रकाशन
28.10.2024 (सुबह 09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक)	दस्तावेज सत्यापन और बंधपत्र के साथ दस्तावेजों का जमा करना।
30.10.2024	वेबसाइट पर स्ट्रे वेकेंसी राउंड आवंटन सूचना का प्रकाशन (ऑनलाइन)।

13.3 उपर्युक्त सारणीबद्ध जानकारी के सरसरी तौर पर अवलोकन से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिवादियों ने दीपावली के कारण सार्वजनिक और कार्यालय अवकाशों की अवधि के दौरान उक्त दस्तावेज सत्यापन/स्ट्रे वेकेंसी राउंड को अत्यधिक शीघ्रता से निर्धारित और आयोजित किया है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादियों द्वारा कोई पर्याप्त या उचित समय नहीं दिया गया था, और कोई भी विवेकशील व्यक्ति विशेष रूप से प्रदान किए गए सीमित समय के भीतर और उन तिथियों पर जहां सार्वजनिक और

कार्यालय अवकाश थे, स्कूल अधिकारियों से उक्त अनंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकता था।

13.4 यह न्यायालय अवधि की गणना के लिए सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करना उचित समझता है। प्रासंगिक प्रावधानों के सरसरी तौर पर अवलोकन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने छुट्टियों के अगले दिन (31.10.2024 को) प्रतिवादियों द्वारा अपेक्षित प्रारूप में अनंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, उक्त प्रमाण पत्र पर विचार न करने पर याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी विलंब के इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अतः, याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई देरी नहीं की गई है। उक्त अधिनियम का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

"10. समय की गणना।—(1) जहां, इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाए गए किसी [केंद्रीय अधिनियम] या विनियम द्वारा, किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी निश्चित दिन या निर्धारित अवधि के भीतर कोई कार्य या कार्यवाही करने या लेने का निर्देश दिया गया है या अनुमति दी गई है, तो, यदि उस दिन या निर्धारित अवधि के अंतिम दिन न्यायालय या कार्यालय बंद है, तो कार्य या कार्यवाही को नियत समय में किया गया या लिया गया माना जाएगा यदि वह अगले दिन किया जाता है या लिया जाता है जिस दिन न्यायालय या कार्यालय खुला हो:

परंतु इस धारा में कुछ भी किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा जिस पर 6 भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 (1877 का 15) लागू होता है।

(2) यह धारा चौदहवें दिन जनवरी, 1887 को या उसके बाद बनाए गए सभी [केंद्रीय अधिनियमों] और विनियमों पर भी लागू होती है।"

13.5 याचिकाकर्ता-उम्मीदवार के आवेदन पत्र पर एक नज़र डालने पर यह नोट किया जाता है कि प्रासंगिक अनिवार्य दस्तावेजों में, जो उक्त परीक्षा में सफल/मेधावी होने पर उम्मीदवारों के पास होने की उम्मीद है, कक्षा X और XII की अंक-पत्र (परिशिष्ट-1) शामिल हैं और वही याचिकाकर्ता-उम्मीदवारों द्वारा विधिवत प्रस्तुत किए गए थे।

13.6 स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए दिनांक 30.10.2024 की अनंतिम योग्यता सूची के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जिन उम्मीदवारों (प्रतिवादी संख्या 5 और 6) की योग्यता याचिकाकर्ताओं से कम है, उन्हें उनकी पसंद के कॉलेज आवंटित किए गए हैं और याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी को केवल पर्याप्त अंक-पत्र यानी 'जीव विज्ञान' को एक विषय के रूप में दर्शाने वाली कक्षा XI की अंक-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण ही बाहर कर दिया गया है।

13.7 फिर भी, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता(ओं) ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की है। उस समय के दौरान, केंद्र और राज्य सरकार ने छात्रों को वस्तुतः अपने व्याख्यानों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था, और उस शैक्षणिक वर्ष के दौरान नामांकित सभी छात्रों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान द्वारा जारी आदेश संख्या 66191/2020-21/14.04.2021 (परिशिष्ट-17) में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार केवल अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया गया था। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि राज्य सरकार द्वारा प्रसारित उक्त प्रारूप में किसी भी विषय विवरण का कोई कॉलम नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता के कक्षा XI के उन्नयन प्रमाण पत्र में किसी विषय का उल्लेख नहीं था। सुविधा के लिए, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 10.04.2020 के आदेश का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

“कोरोना महामारी (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु लॉक डाउन के कारण कक्षा क्रमोन्नति प्रावधानों में सत्र 2019-20 हेतु एकबारीय शिथिलन प्रदान करते हुए, उक्त सत्र में कक्षा 9 एवं 11 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को एतद् द्वारा आगामी कक्षा क्रमशः- कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में संबंधित संस्था प्रधान निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएंगे:-

1. सत्र 2019-20 में कक्षा 9 एवं 11 में नियमित अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उनके समग्र मूल्यांकन, के आधार पर आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाना है। इस हेतु संस्था प्रधान द्वारा सत्र 2019-20 में विद्यार्थी के अब तक के समग्र मूल्यांकन यथा—

तीनों परखों, अर्द्धवार्षिक परीक्षा, सहशैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी तथा सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा।

2. विद्यार्थी की आगामी कक्षा 10/12 में क्रमोन्नति के लिये कक्षा 9/11 में भारांक प्रतिशत निम्नानुसार होगा :-

क्र.सं.	विषय	प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पूर्णांक	अकादमिक भारांक प्रतिशत		सह शैक्षिक गतिविधि एवं सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन हेतु भारांक प्रतिशत	विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांक
			अर्द्धवार्षिक परीक्षा के भारांक	तीनों परख के भारांक		
		100	50	20	30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 4+5+6)

उदाहरणार्थ किसी विद्यार्थी के हिन्दी विषय में अर्द्धवार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 70 में से प्राप्तांक 30 है और तीनों परख में पूर्णांक 30 में से प्राप्तांक 15 हैं तथा सहशैक्षिक गतिविधि एवं सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन हेतु प्रदत्त अंक 25 हो, तो भारांक की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

क्र.सं.	विषय	प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पूर्णांक	अकादमिक भारांक प्रतिशत		सह शैक्षिक गतिविधि एवं सत्र में विद्यार्थी के समग्र प्रदर्शन हेतु प्राप्तांक	विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांक
			अर्द्धवार्षिक परीक्षा के भारांक	तीनों परख के भारांक		
		100	50	20	30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 4+5+6)

1	हिन्दी	100	30X50/70= 21.4=22	15X20/30 =10	25	57

इसी अनुरूप प्रत्येक विषय का आकलन किया जाना है।

3. उपर्युक्तानुसार समग्र आंकलन कर कक्षा 9 एवं 11 के समस्त विद्यार्थियों को आगामी कक्षा क्रमशः 10 एवं 12 में क्रमोन्नत किया जाएगा।”

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान निर्णय आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होगा। अतः, वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं (विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 5 और 6 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता) द्वारा उठाए गए कथनों की तुलना करते हुए; रिकॉर्ड और बार में उद्धृत निर्णयों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करते हुए; इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा प्राप्त योग्यता क्रमशः 3695 और 3792 है (यहां याचिकाकर्ताओं से कम) (परिशिष्ट-12 और 13) यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से वर्तमान याचिका को अनुमति देना उचित समझता है:

14.1 कि याचिकाकर्ताओं (ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित) द्वारा दस्तावेज सत्यापन की अवधि के दौरान उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना उनके नियंत्रण से बाहर था। फिर भी, जिस अवधि के दौरान उक्त स्ट्रे वेकेंसी राउंड काउंसलिंग निर्धारित की गई थी (28.10.2024 और 03.11.2024 के बीच) यह सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि किसी भी प्रयास से उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सार्वजनिक और कार्यालय अवकाशों (28.10.2024 – 03.11.2024) के बीच प्रतिवादियों को उपलब्ध नहीं हो पाता। उक्त कारण याचिकाकर्ताओं के नियंत्रण से बाहर हैं। फिर भी, याचिकाकर्ता अपने अधिकारों और उपचारों के प्रति सतर्क हैं और इसलिए, जैसे ही संभव हुआ (दीपावली की छुट्टियों के तुरंत बाद) इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

14.2 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं की उच्च माध्यमिक अंक-पत्र में स्पष्ट रूप से 'जीव विज्ञान' को याचिकाकर्ताओं द्वारा पढ़े गए विषयों में से एक के रूप में दर्शाया गया

है, और वही दस्तावेज सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा विधिवत प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी कक्षा XI की अंक-पत्र प्रस्तुत करने के अनिवार्य प्रावधान के पीछे के तर्क को पुष्ट करने में विफल रहे हैं, जिसमें 'जीव विज्ञान' को याचिकाकर्ताओं द्वारा पढ़े गए विषयों में से एक के रूप में दर्शाया गया है, खासकर जब वही कक्षा XII की अंक-पत्र में निर्विवाद रूप से प्रकट होता है।

14.3 इसके अलावा, यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए कथन से सहमत है कि प्रतिवादियों (एनटीए) ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कोई समय/सीमित समय नहीं दिया है, हालांकि पूर्ववर्ती तीन काउंसिलिंग राउंड में इसकी अनुमति दी गई थी।

14.4 इसके अतिरिक्त, आशा (सुप्रा) में निहित सिद्धांत पर भरोसा किया जा सकता है, और यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह दर्ज करने के बाद कि याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है और उन्होंने जितनी जल्दी हो सके अपने अधिकारों और उपचारों का पालन किया है, कट-ऑफ तिथि का उपयोग मेधावी छात्रों को प्रवेश से वंचित करने के लिए एक तकनीकी साधन या उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है। उक्त सिद्धांत का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"31. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 30 सितंबर कट-ऑफ तिथि है। अधिकारी कट-ऑफ तिथि से परे प्रवेश नहीं दे सकते हैं जो विशेष रूप से निर्धारित है। लेकिन जहां किसी उम्मीदवार की कोई गलती नहीं है और उसे मनमाने कारणों से प्रवेश से वंचित किया जाता है, तो क्या कट-ऑफ तिथि को ऐसे छात्रों के प्रवेश के लिए एक बाधा के रूप में संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, खासकर जब इसका परिणाम एक मेधावी उम्मीदवार के पेशेवर करियर के पूर्ण विनाश में होगा, यह वह प्रश्न है जिसका हमें उत्तर देना है। यह दर्ज करने के बाद कि अपीलकर्ता की कोई गलती नहीं है और उसने जितनी जल्दी हो सके अपने अधिकारों और उपचारों का पालन किया है, हम इस सुविचारित राय के हैं कि कट-ऑफ तिथि का उपयोग मेधावी छात्रों को प्रवेश से वंचित करने के लिए एक तकनीकी साधन या उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में योग्यता का नियम पूरी तरह से पराजित हो जाता है। अपीलकर्ता योग्यता सूची में उच्च स्थान पर था। यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि उससे बहुत कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को पहले ही एमबीबीएस पाठ्यक्रम में

प्रवेश दिया जा चुका है। अपीलकर्ता ने 832 अंक प्राप्त किए थे जबकि जिन छात्रों ने 821, 792, 752, 740 और 731 अंक प्राप्त किए थे, उन्हें पहले ही ईएसएम श्रेणी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा चुका है। यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि स्पष्ट रूप से अनुचित है कि अपीलकर्ता को प्रवेश से वंचित किया जाए। हालांकि दुर्लभतम मामलों या असाधारण परिस्थितियों में न्यायालयों को राहत को आकार देना पड़ सकता है और 30 सितंबर की कट-ऑफ तिथि में अपवाद बनाना पड़ सकता है, लेकिन उन मामलों में, न्यायालय को पहले यह निष्कर्ष देना होगा कि उम्मीदवार की कोई गलती नहीं है, उम्मीदवार ने बिना किसी देरी के अपने अधिकारों और कानूनी उपचारों का शीघ्रता से पालन किया है और अधिकारियों की ओर से गलती है और चयन और प्रवेश देने की प्रक्रिया में कुछ नियमों, विनियमों और सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। जहां प्रवेश से इनकार उम्मीदवार के समानता और समान व्यवहार के अधिकार का उल्लंघन करता है, ऐसे उम्मीदवार को ऐसी असाधारण राहत से वंचित करना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। [आरती सप्रू और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य [(1981) 2 एससीसी 484]; छवि मेहरोत्रा बनाम महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ [(1994) 2 एससीसी 370]; और अरविंद कुमार कानकाने बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2001) 8 एससीसी 355] देखें।

36. अब, हम इस निर्णय के प्रारंभिक भाग में हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ेंगे।

उत्तर

क) पाठ्यक्रमों और कॉलेजों की वरीयता के लिए योग्यता का नियम कोई अपवाद स्वीकार नहीं करता है। यह एक पूर्ण नियम है और सभी हितधारकों और संबंधित अधिकारियों को इस नियम का कड़ाई से और बिना किसी आपत्ति के पालन करना आवश्यक है।

ख) 30 सितंबर निस्संदेह अंतिम तिथि है जिस तक प्रवेशित छात्रों को बिना किसी चूक के अपने संबंधित कॉलेजों में रिपोर्ट करना चाहिए। सामान्य क्रम में, प्रवेश संबंधित शैक्षणिक वर्ष के 15 सितंबर तक दूसरी काउंसलिंग आयोजित करके बंद हो जाने चाहिए [प्रिया गुप्ता (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार]। तत्पश्चात, केवल बहुत ही दुर्लभ और असाधारण मामलों में स्पष्ट भेदभाव या मनमानी या अत्यधिक आपातकाल की स्थिति में, प्रवेश अनुमेय हो सकता है लेकिन ऐसी शक्ति न्यायालयों द्वारा अधिमानतः प्रयोग की जा सकती है। इसके अलावा, यह दुर्लभतम मामलों में होगा और जहां न्याय के उद्देश्य

विफल हो जाएंगे या कानून की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी कि न्यायालय वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के 30 सितंबर की समय सीमा के बाद उम्मीदवारों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि, यह तभी किया जा सकता है जब प्रिया गुप्ता (सुप्रा) के मामले में और इस निर्णय में इस न्यायालय द्वारा बताई गई शर्तें अपवाद रहित रूप से संतुष्ट पाई जाती हैं और सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा उसके कारण दर्ज किए जाते हैं।

ग) और घ) जहां भी न्यायालय पाता है कि अधिकारियों की कार्रवाई मनमानी थी, इस न्यायालय के निर्णयों के विपरीत थी और नियमों, विनियमों और विवरणिका की शर्तों का उल्लंघन करती थी, जिससे छात्रों के अधिकारों को पूर्वाग्रह होता था, न्यायालय ऐसे छात्रों को मुआवजा प्रदान करेगा और दोषी अधिकारी/पदाधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देगा। न्यायालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ उनकी हैसियत और सशक्तिकरण के बावजूद अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही शुरू की जाए।

जहां संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रवेश न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से अस्थिर पाए जाते हैं और जहां छात्रों को पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है, केवल यह तथ्य कि ऐसे छात्रों ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एक वर्ष या उससे अधिक समय बिताया है, उन्हें पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति देने का आधार नहीं है।"

14.5 डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ और अन्य, (1984) 3 एससीसी 654 में रिपोर्ट किए गए मामले में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केवल योग्यता ही मानदंड होनी चाहिए। अतः, योग्यता के नियम को किसी भी कीमत पर पराजित नहीं किया जाना चाहिए।

14.6 उपर्युक्त उद्धृत सिद्धांतों पर विचार करने पर यह न्यायालय इस विचार का है कि उम्मीदवार का विचार केवल योग्यता, निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के आधार पर होना चाहिए, जो चयन/प्रवेश प्रक्रिया का लोकाचार है। प्राप्त योग्यता के अनुसार एक अच्छा कॉलेज वह फल है जो उम्मीदवार अपने जीवन में अपनी लगन और अभिलाषाओं के परिणामस्वरूप प्राप्त करते हैं और किसी भी स्थिति में इसमें समझौता

नहीं किया जा सकता है और योग्यता का नियम किसी भी अन्य तकनीकी साधनों पर हावी होना चाहिए।

14.7 इसके अलावा, यह न्यायालय **डॉली चंदा बनाम अध्यक्ष जेईई**, (2005) 9

एससीसी 779 में रिपोर्ट किए गए मामले पर भरोसा करना उचित समझता है:

"सामान्य नियम यह है कि किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम या पद के लिए आवेदन करते समय, व्यक्ति के पास ऐसी तिथि के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर पात्रता योग्यता होनी चाहिए, चाहे वह प्रवेश विवरणिका में हो या आवेदन पत्र में, जैसा भी मामला हो, जब तक कि इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो। इस संबंध में कोई ढील नहीं हो सकती है, अर्थात् निर्धारित तिथि तक आवश्यक पात्रता योग्यता धारण करने के मामले में। इसे आवश्यक प्रमाण पत्र, डिग्री या अंक-पत्र प्रस्तुत करके स्थापित किया जाना है। इसी तरह, आरक्षण या वेटेज आदि के लाभ का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। ये विशेष योग्यता धारण करने या प्राप्त अंकों के प्रतिशत या आरक्षण के लाभ के हक के प्रमाण के रूप में दस्तावेज हैं। किसी मामले के तथ्यों के आधार पर, प्रमाण प्रस्तुत करने के मामले में कुछ ढील हो सकती है और किसी भी कठोर सिद्धांत को लागू करना उचित नहीं होगा क्योंकि यह प्रक्रिया के दायरे में आता है। प्रमाण प्रस्तुत करने से संबंधित नियम के प्रत्येक उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी की अस्वीकृति आवश्यक रूप से नहीं होगी।"

14.8 इसके अलावा, एस. कृष्णा श्रद्धा (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांत पर भरोसा किया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"13.2 _असाधारण परिस्थितियों में, यदि न्यायालय पाता है कि उम्मीदवार की कोई गलती नहीं है और उम्मीदवार ने बिना किसी देरी के अपने कानूनी अधिकार का शीघ्रता से पालन किया है और केवल अधिकारियों की ओर से गलती है और/या प्रवेश देने की प्रक्रिया में नियमों और विनियमों के साथ-साथ संबंधित सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है जो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों के समानता और समान व्यवहार के अधिकार का उल्लंघन करेगा और यदि निर्धारित समय-सारणी - 30 सितंबर, समाप्त हो गई है, तो पूर्ण न्याय करने के लिए, न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में और दुर्लभतम मामलों में सीटें बढ़ाने का निर्देश देकर उसी वर्ष प्रवेश का निर्देश दे सकता है, हालांकि, यह एक या दो सीटों से अधिक नहीं होना चाहिए और ऐसे प्रवेश उचित समय के भीतर, अर्थात् 30 सितंबर, यानी कट-

ऑफ तिथि से एक महीने के भीतर आदेशित किए जा सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में, न्यायालय 30 अक्टूबर के बाद उसी वर्ष कोई प्रवेश का आदेश नहीं देगा। हालांकि, यह देखा गया है कि ऐसी राहत केवल असाधारण परिस्थितियों और दुर्लभतम मामलों में ही दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय उस श्रेणी की योग्यता सूची में सबसे नीचे के उम्मीदवार को दिए गए प्रवेश को रद्द करने का आदेश भी पारित कर सकता है, जिसे यदि अधिक मेधावी उम्मीदवार को प्रवेश दिया गया होता जिसे अवैध रूप से प्रवेश से वंचित किया गया था, तो उसे प्रवेश नहीं मिला होता, यदि न्यायालय इसे उचित और उपयुक्त समझता है, हालांकि, उस छात्र को सुनवाई का अवसर देने के बाद जिसका प्रवेश रद्द किया जाना है।

14.9 इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय इस राय का है कि **रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (सुप्रा)** में निहित निर्णय, जिस पर प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है, एक भिन्न तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर आधारित है क्योंकि उसमें, न्यायालय के समक्ष मुद्दा एक रिक्त सीट के आवंटन और एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से संबंधित है। इस कारण से, यह अंतरिम आदेशों के लिए निर्देश मांगने से संबंधित है। अतः, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह भिन्न तथ्यात्मक मैट्रिक्स का है।

14.10 इसके अतिरिक्त, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रेमसुख (सुप्रा)** पर रखा गया भरोसा एक गलत नाम है क्योंकि उक्त निर्णय में न्यायालय ने बल्कि उसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर बाद के काउंसिलिंग राउंड में विचार करने का निर्देश दिया था और अवशिष्ट मुद्दों के संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं की गई है।

15. इसलिए, उपर्युक्त के सारांश में यह नोट किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों (उनकी पृष्ठभूमि की बाधाओं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोविड-19 महामारी के दौरान उस शैक्षणिक वर्ष के लिए नामांकित सभी छात्रों को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा परिपत्र/आदेश के अनुसार क्रमोन्नत किया गया था); कि प्रतिवादी-एनटीए (और अन्य प्रतिवादियों) ने उक्त दस्तावेज सत्यापन आयोजित करने से पहले, उचित समय पर दस्तावेज जमा करने के संबंध में पर्याप्त जानकारी

प्रदान/प्रकाशित नहीं की; कि उक्त स्ट्रे वेकेंसी राउंड 26.10.2024 – 03.11.2024 की अवधि के बीच आयोजित किया गया था, जो सार्वजनिक और कार्यालय अवकाश थे; कि प्रतिवादियों (काउंसलिंग आयोजित करने वाले प्राधिकरण-एनटीए) ने एक अत्यल्प अवधि (28.10.2024 को सुबह 09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक) प्रदान की थी जिसके भीतर उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज जमा करने थे; कि तत्काल, याचिकाकर्ताओं (योग्यता में उच्च होने के कारण) ने निर्धारित प्रारूप में उक्त प्रमाण पत्र (दिनांक 31.10.2024, प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित) प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने कक्षा XI में 'जीव विज्ञान' को एक विषय के रूप में पढ़ा था, इसके अलावा, वही उसके उच्च माध्यमिक अंक-पत्र द्वारा परिलक्षित होता है; कि प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे एक भिन्न तथ्यात्मक कथा पर आधारित हैं और इसलिए, यहां लागू नहीं किए जाने चाहिए; कि आशा (सुप्रा) और प्रेमसुख (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस विचार का है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त योग्यता सीटों/कॉलेजों के आवंटन के लिए एकमात्र मानदंड होनी चाहिए, और किसी भी तरह से तकनीकी औपचारिकताओं के कारण मेधावी याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को निराश नहीं किया जाना चाहिए और वर्तमान याचिकाएं दुर्लभतम मामलों के दायरे में आती हैं, जहां न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है।

16. इसलिए, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नीट यूजी परीक्षा, 2024 में उनके द्वारा प्राप्त योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर सख्ती से विचार करें और उसी के अनुसार मेडिकल कॉलेज आवंटित करें। प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को दिए गए कॉलेजों का आवंटन/उम्मीदवारी याचिकाकर्ताओं की तुलना में उनके द्वारा प्राप्त योग्यता को ध्यान में रखते हुए अस्वीकृत/रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को बिना किसी और देरी के आवश्यक कार्य करने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि यह नोट किया गया है कि संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षाएं/व्याख्यान पहले ही शुरू हो चुके हैं।

17. तदनुसार, याचिकाओं का वर्तमान समूह अनुमत किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान निर्णय सभी संबंधित याचिकाओं पर आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होगा। उक्त सीटों पर प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को दिया गया आवंटन अस्वीकृत/रद्द किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निपटाए जाएंगे।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

जेकेपी/एस-276, 277, 274-275

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

